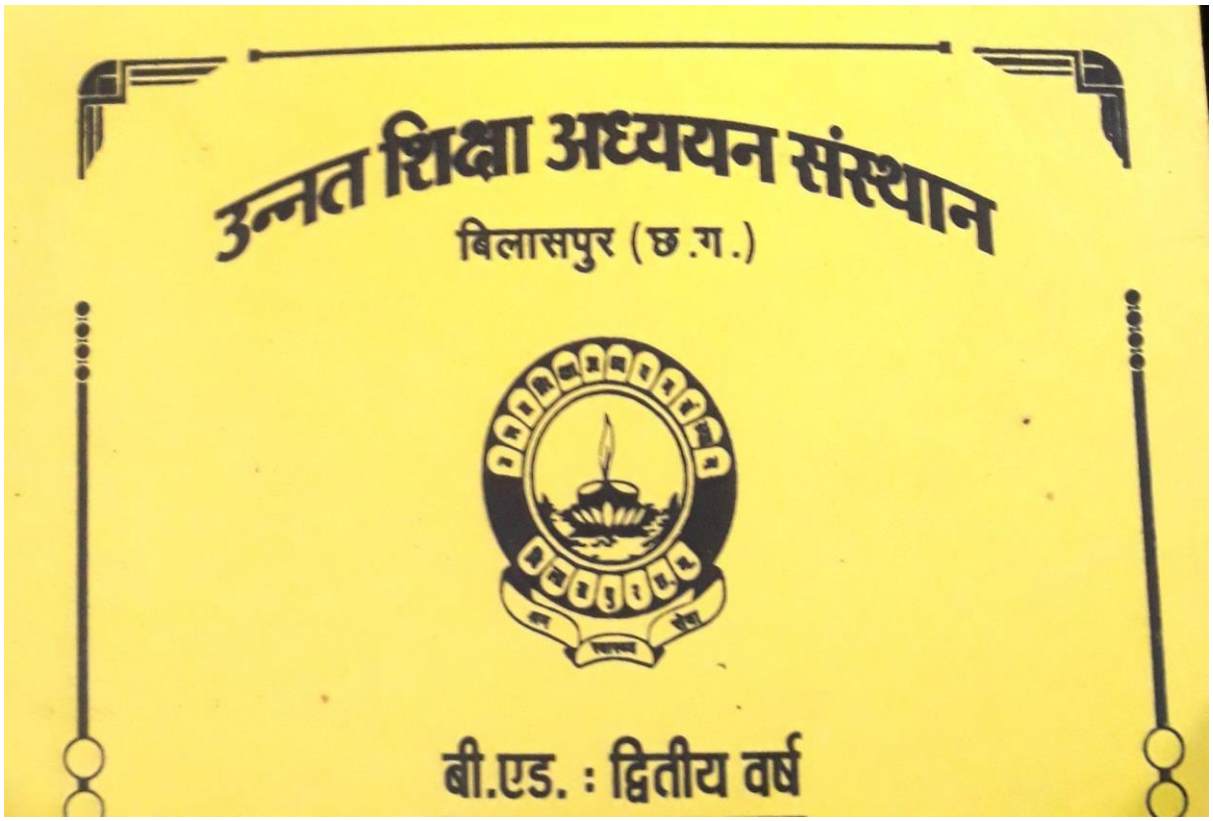

Professor Ramakanti Sahu
IASE Bilaspur (C.G.)

B.ED 2ND Year

Two Year B.Ed.Course

Pedogogy of Social Science Paper -2

Mob No - 9098110242

Objectives of the Cources

पाठ्यक्रमों के उद्देश्य

The Cousre will enable student-teacher to

पाठ्यक्रम छात्र–अध्यापकों को सक्षम बनायेगा

– Understand the approaches to the teaching and Learning of social and political life and economics
– सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा अर्थशास्त्र में शिक्षण एवं सीखना उपागमों की समझ
– Create good class room process for social Science
– सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अच्छा क्लास रुम बनाये
– Understand the role of assessment and Feedback while teaching social science
– सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रतिपुष्टि एवं मूल्यांकन की भूमिका को समझना

Unit 1 - Teaching and Learning of Social and Political life

समाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में सीखना एवं सीखाना

1-a-Adolescence and the teaching of civics/social and political life

किशोरवय के छात्रों के शिक्षण में नागरिक/सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन –

उद्देश्य : 1–छात्राध्यापकों को नागरिक/सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की आवश्यकता के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होंगे।

2–वे नागरिक/सामाजिक जीवन के महत्व को जान सकेगें।

3–वे राजनीतिक जीवन के महत्व को समझ सकेंगे।

सामाजिक विज्ञान शिक्षा के अंतर्गत भूगोल, राजनीति शात्र, अर्थशात्र, इतिहास, समाजशास्त्र एवं मानव विज्ञान आदि विषय का अध्ययन समाहित है।

प्रस्तावना : किशोरावस्था या किशोरवय अंग्रेजी भाषा के (Adolescence) शब्द का हिन्दी पर्याय है। 13 वर्ष से 19 वर्ष के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। यह बृद्धि एवं विकास का काल है। यह एक ऐसी संवेदनशील अवधि है जब किशोरवय के विद्यार्थियों में बहुत महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन हाते है। ये परिवर्तन इतने आकस्मिक व तीव्र होते हैं कि इससे कई समस्याएँ उत्पन्न होती है। किशोर इन परिवर्तनों को अनुभव

तो करते हैं किन्तु इन्हें समझने में असमर्थ होते हैं। इस समझ का विकसित करने के लिए किशोरवय के विद्यार्थियों को भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में नागरिक/सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। जो निम्नलिखित हैं –

1.जन साधारण के लिए उपयोगी –

अ.ब्यक्ति व समाज के पारस्परिक संबंध का ज्ञान–

ब.सामाजिक चेतना के विकास के लिए–

स.अधिकारों एवं कर्तब्यों का ज्ञान हेतु –

द.राजनीतिक चेतना के विकास के लिए–

2.स्वस्थ्य सामाजिक जीवन का विकास –

3. आदर्श नागरिकता की शिक्षा हतु –

4. विभिन्न समुदायों का ज्ञान प्रदान करता है –

5. राज्य व सरकार के संगठन का ज्ञान –

6. प्रजातांत्रिक सरकार की सफलता का ज्ञान –

7. आदर्श शासन ब्यवस्था का ज्ञान –

8. नागरिक शास्त्र सर्व कल्याण की भावना का उदय करता है –

9. नागरिक शास्त्र नैतिक उत्थान करता है –

10. विश्व शांति का संदेश देता –

11. भावी नागरिकों को देश के उत्तरदायित्व के पालन योग्य बनाता है –

12. विचारों को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है –

13. महत्वपूर्ण गुणों का विकास करना –

14. लोकहित की भावना का विकास करना –

किशोरवय के विद्यार्थियों हेतु नागरिक/सामाजिक जीवन के अध्ययन की उपयोगिता एवं महत्व –

1. समाज के वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन में सहायक –
2. सामाजिक वातावरण को समझने में सहायक –
3. ग्रामीण पुनर्निर्माण में सहायक –
4. सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायक –
5. जनजातीय समस्याओं के निराकरण में सहायक –
6. नगरीय कल्याण में सहायक –
7. अपराधों को कम करने में सहायक –
8. धार्मिक समस्याओं के निराकरण में सहायक –
9. व्यवसायों को दिलाने में सहायक –
10. भावनात्मक एकता बनाये रखने में सहायक –
11. योजनाओं की सफलता में सहायक –

किशोरवय को राजनीतिक जीवन के संबंध में शिक्षण का महत्व–

————————————————————————————————

1–उत्तम नागरिकता की शिक्षा देना–

2–भारतीय संविधान का ज्ञान कराना–

3–वयस्क मताधिकार का ज्ञान–

4–अधिकारों एवं कर्तब्यों के पालन का ज्ञान–

5–सरकार के तीनो अंगों का ज्ञान–

6–देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा का ज्ञान–

7–लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का ज्ञान–

8–सांस्क्तिक विविधता एवं भावात्मक एकता का ज्ञान–

9–विश्वबंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सदभावना का विकास–

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. किशोरवय के विद्यार्थियों के लिये नागरिक/सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न2. किशोरवय के बालकों के लिए नागरिक/सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डालिए।

Unit1-b-Community Experience and the teaching of civics/social and political life

सामुदायिक अनुभव और नागरिक / सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का शिक्षण –

उद्देश्य : 1.छात्राध्यापकों में सामुदायिक अनुभव की समझ विकसित होगी।

2. सामुदायिक अनुभव की उपयोगिता एवं महत्व को जानेंगे।

3. सामुदायिक अनुभव का शिक्षण में प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

समुदाय एक बृहद सामाजिक समूह होता है जिसमें रहकर उस समूह के सामान्य आवश्यकता की पूर्ति होती है। समुदाय के निर्माण एवं स्थायित्व की दृष्टि से दो या दो से अधिक ब्यक्तियों के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन तथा नियमों आदि जैसे तत्वों का होना परम आवश्यक है।

परिभाषा – गिंसबर्ग के अनुसार –'' समुदाय सामान्य जीवन ब्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों का एक ऐसा समूह है, जिनमें सब प्रकार के असीमित, विविध और जटिल संबंध होते हैं जो सामान्य जीवन के फलस्वरुप होते हैं या जो उसका निर्माण करते हैं।

मैकाइवर के अनुसार – ''जब कभी एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार रहते है कि वे इस अथवा उस विशिष्ट उद्देश्य में भाग नहीं लेते है वरन जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते है, तब हम ऐसे समूह को समुदाय कहते हैं।

समुदाय के शैक्षिक कार्य –

————————————————

– स्कूलों की स्थापना

– शिक्षा के उद्देश्य का निर्माण तथा शिक्षा पर नियंत्रण

– सार्वभौमिक शिक्षा की ब्यवस्था

– व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की ब्यवस्था

– प्रौढ़ शिक्षा की ब्यवस्था

– स्कूलों के लिए धन की ब्यवस्था

– नागरिकों तथा स्कूल के नेताओं में सहयोग

समुदाय में विभिन्न समूहों में अलग–अलग भाषा, धर्म, व्यवसाय, संस्कृति, साहित्य, विभिन्न योग्यताओं वाले लोग निवास करते है। इनके अनुभवों का प्रयोग हम नागरिक/सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के शिक्षण अर्थात सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में कर सकते हैं। इसके पहले हमें सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को जानना आवश्यक है।

सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामुदायिक अनुभवों के प्रयोग के उद्देश्य –

1. ज्ञान प्राप्त करना –

2. तार्किक, जटिल और महत्वपूर्ण निर्णयन शक्ति का विकास –

3. स्वतंत्र अध्ययन में प्रशिक्षण –

4. आदत व कौशल का विकास –

5. आचरण के ऐच्छिक/इच्छित प्रतिरुप में प्रशिक्षण –

6. राष्ट्रीय एकीकरण व राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास –

7. अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास –

8.ब्यक्तिगत, सामाजिक व संवैधानिक मूल्यों का विकास

9. उत्तरदायी नागरिकों का विकास करना

10. नागरिकता प्रशिक्षण –

11. सामाजीकरण –

12. मानसिक शांति विकसित करना –

13. सामाजिक, ब्यक्तिगत व समरुप दायित्वों का विकास –

14. सांस्कृतिक संरक्षण, रुपान्तरण और संप्रेषण –

हमें सामाजिक विज्ञान के शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समाज के अनुभवों का शिक्षण में प्रयोग करना आवश्यक है इसके लिए हमें समुदाय के

– विभिन्न ब्यक्तियों

– वर्ग समूहों

– धार्मिक ब्यक्तियों

– सामाजिक कार्यकर्ता

– राजनीतिक नेताओं

– कलाकारों

– कुशल श्रमिकों

– औद्योगिक संस्थाओं

गाँव/कस्बा/शहर के लोहार, कुम्हकार, बढ़ई, जुलाहा, सोनार आदि के अनुभव

– पुरातत्व विभाग

– पुलिस विभाग

– स्व–सहायता समूह

– कुटीर उद्योग में लगे परिवार

– डाक विभाग

– बैंकिंग विभाग

– एलुमिनी

– प्रशासक

– खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित ब्यक्ति

– पंच, सरपंच, पार्षद आदि

– नर्स, डॉक्टर

– गाँव/कस्बा/शहर क प्रतिष्ठित ब्यक्ति

समुदाय में रहने वाले उपरोक्त ब्यक्तियों के अनुभवों का लाभ हम विद्यालय में अनेक कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित कर छात्रों एवं शिक्षकों के ज्ञान एवं अनुभवों में बृद्धि कर सकते है। इससे सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य पूर्ण होने में सहायता मिलेगी।

सामुदायिक अनुभवों का शिक्षण में महत्व –

————————————————————

– ब्यक्तिगत विकास हेत

– संस्थागत/विद्यालयीन विकास हेतु

– सामुदायिक विकास हेतु

– सामाजिक विकास हेतु

– शारीरिक विकास हतु

– मानसिक विकास हेतु

– संवेगात्मक विकास हेतु

– सर्वांगीण विकास हेतु

– राजनीतिक विकास हेतु

उपसंहार –

मूल्यांकन – पश्न 1.सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सामुदायिक अनुभवों के प्रयोग की आवश्यकता पर प्रकाश प्रकाश डालिए ।

प्रश्न 2. सामुदायिक अनुभवों या कार्यों का शिक्षण म प्रयोग करने हेतु आप क्या करेंगे? समझाइए।

प्रश्न 3. सामुदायिक अनुभवों एवं सामुदायिक सहयोग का शिक्षा में महत्व का उल्लेख कीजिए।

Unit 1-C-Revisting some basic concepts / processes in Social Political Life.

Three major themes from the following may be selected –

सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ आधारभूत संकल्पनाओं / प्रक्रियाओं का पुनरावलोकन।

निम्नलिखित में से बृहद तीन चयनित –

Aspects of diversity and marginalization in modern societies,

India in particular, with special reference to Chhattisgarh

भारत में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में आधुनिक समाज में हाशिए पर या सीमांत में रहने वालों की विविधताओं के विविध पहलू या पक्ष

Marginalized Groups in India special reference to Chhattisgarh

(भारत में सीमान्त समूह छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में) –

.....

उद्देश्य : 1. छात्राध्यापक हमारे छ.ग. राज्य में सीमांत समूह में आने वालों के बारे में जानेंगें।

2. इन समूहों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को जान सकेंगे।

3. उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार हेत, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में

में समझ विकसित होगी।

उत्तर – छत्तीसगढ़ में सीमांत समूह में रहने वाले निम्नलिखित हैं –

1 – अनुसूचित जाति –

2 – जन जाति समूह –

3 – पिछड़ा वर्ग –

4 – बालिका वर्ग –

5 – शारीरिक एवं मानसिक रुप से दिव्यांग –

6 – अल्पसंख्यक वर्ग –

7 – झुग्गी झोपड़ियों के निवासी –

8 – प्रवासी मजदूर –

9 – ट्रांस जेंडर –

सीमान्त पर रहने वालों की समस्याएँ –

————————————————————

1–अशिक्षा–

2–गरीबी –

3–सामाजिक अपमान–

4–दोहरा मार –

5–मजबूरी–

6–उच्च वर्ग से दूरी–

7–आपसी संगठन का अभाव–

हमें इनके जीवनयापन से संबंधित विविधताओं का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक जो निम्न लिखित है –

अ. भाषा/बोली –

ब. व्यवसाय –

स. आवास –

द. भोजन –

य. रहन–सहन/वेषभूषा –

र. त्यौहार –

ल. परम्पराएँ –

व. संस्कृति –

श. साहित्य –

EDUCATION OF MARGINALIZED GROUPS IN INDIA –

.....

भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के पिछड़ने का कारण समाज के सभ्य वर्ग द्वारा इन्हें सुख–सुविधाओं से वंचित रखना, वंचित किया जाना या छीन लेना है। ये हैं – अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ावर्ग, बालिका एवं अल्पसंख्यक वर्ग आदि। हमें इनके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए इन्हें प्राप्त नागरिक सुविधाओं, इनकी शिक्षा एव उनसे संबंधित शासकीय योजनाओं के बारे में उल्लेख आवश्यक है।

नोट – पिछले वर्ष आप लोग द्वितीय पेपर ''सम कालीन भारतीय समाज और शिक्षा'' में इनके बारे में पढ़ चुके हैं।

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. सीमान्त वर्ग से आप क्या समझते हैं?

छ.ग. के सीमान्त वर्ग के बारे में संक्षिप्त निबंध लिखिए।

प्रश्न2. भारत में छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में सीमान्त में निवास करने वाले समूह की विविधताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न3. छ.ग. में सीमान्त में निवास करने वाले विविध वर्ग समूह के लोगों को समस्याओं एवं इन्हें दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का उल्लेख कीजिए।

Unit 1-3-2 Organization of the economic life of people in India

भारत में लोगों के आर्थिक जीवन का संगठन –

उद्देश्य : 1. छात्राध्यापक के आर्थिक संगठन को जान सकेंगे।

2. आर्थिक संगठन के विविध क्षेत्रों के बारे में समझ विकसित होंगे।

भारत विश्व का सातवाँ बड़ा देश है। भारत में लोगों के आर्थिक संगठन को जानने से पूर्व हमें उनके सामाजिक संगठन के बारे में जानना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग है इसके लिए हमें भारतीय समाज के थीम को जानना आवश्यक है जो निम्नलिखित है –

1–पदानुक्रम –

2–धन एवं शक्ति सम्पन्नता –

3–पवित्रता एवं अपवित्रता –

4–सामाजिक अंर्तनिर्भरता –

5–धार्मिक विविधता –

6–सामाजिक गतिशीलता –

7–शिक्षा –

भारत में लोगों के आर्थिक जीवन का संगठन – भारत एक कृषि ———————————————————— प्रधान देश है। यहाँ की 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर है। अपने जीवनयापन हेतु यहाँ के लोग कृषि के अतिरिक्त विविध कायों, व्यवसाय, नौकरी–पेशा, उद्योग– धन्धे, यातायात, परिवहन एवं संचार, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में

क्रियाशील है। हमारे देश की जनसंख्या के आर्थिक संगठन को निम्नांकित भागों में विभक्त कर सकते है –

1–प्राथमिक क्षेत्र :

अ. कृषि – 1. इसके अतंर्गत फसल उत्पादन –

2. पशुपालन –

3. मत्स्य पालन –

4. दुग्ध उत्पादन –

5. वनोपज संग्रह –

6. रेशम के कीड़े पालन –

2–द्वितीयक क्षेत्र :

ब. व्यवसाय – इसके अंर्तगत विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कार्यरत जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है –

1. होटलिंग –
2. कपड़ा –
3. राशन –
4. सब्जी –
5. भोजन –
6. चाय –
7. नाश्ता –
8. वाटर सप्लाई –
9. पान –

3–तृतीयक क्षेत्र

———————————————————

स. आद्योगिक क्षेत्र –

———————————————————

इसके अंतर्गत –

1. कपड़ा उद्योग – सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र उद्योग
2. लौह इस्पात –
3. सीमेण्ट –
4. जूट –
5. शक्कर – गुड़
6. हौजरी सामान –
7. बीड़ी, तम्बाखू, सिगरेट –
8. चावल, आटा, तिलहन, दलहन –
9. मशीनरी सामान –
10. रेलगाड़ी –
11. खिलौने –
12. खाद –
13. चमड़ा –
14. ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कार, दोपहिया वाहन –
15. वायुयान, जलयान निर्माण –
16. मांस उद्योग

4–चतुर्थक क्षेत्र : द. सेवाएँ

———————————————————

भारत में सभी प्रकार की शासकीय एवं अशासकीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जैसे –

1. शिक्षा –
2. चिकित्सा –
3. तकनीकी –
4. कृषि –
5. उद्योग –
6. यातायात, परिवहन, संचार –

7. प्रशासनिक –
8. डाक –
9. बैकिंग –
10. खेलकूद –
11. फर्नीचर निर्माण –
12. आई.सी.टी –

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. आर्थिक संगठन से आप क्या समझते है? भारत में आर्थिक संगठन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न2. भारत में लोगों के आर्थिक जीवन का उल्लेख कीजिए।

Unit 1-C-3-Some basic concepts of economics,like Sector of economic, GDP, growth etc.

कुछ आधारभूत आर्थिक अवधारणाएँ – आर्थिक क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पादन, विकास आदि।

उद्देश्य : 1. छात्राध्यापकों में देश के आर्थिक क्षेत्र के बारे में समझ विकसित होगी।

2. वे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का देश की अर्थब्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी को जानेंगे।

3. विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के महत्व को समझ सकेंगे।

भारत में आर्थिक क्षेत्र (Sector of the economy in India) :

1–प्राथमिक क्षेत्र – इसके अंर्तगत कृषि, पशुपालन, खनन, वनिको, उद्योगों के लिए कच्चामाल उत्पादन एवं मत्स्य पालन आदि आते हैं। देश के 58 प्रतिशत जनसंख्या की कार्यशक्ति इसमें लगी हुई है। सन् 2018 के अनुसार देश के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में इसका योगदान 17.50 प्रतिशत है।

2–द्वितीयक विनिमाण क्षेत्र – कच्चा माल का विभिन्न विनिर्माण उद्योगां में प्रयोग जैसे लौह–इस्पात, सूती वस्त्र, सीमेंट, शक्कर, जूट, टेक्सटाइल, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीसिटी आदि के रुप में उत्पादन। देश के सकल घरेलू उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 20 प्रतिशत है। जो कि काफी कम है। देश की आर्थिक स्थितिमें सुधार हेतु सबसे अधिक बृद्धि इस क्षेत्र में होना चाहिए।

3–तृतीयक क्षेत्र – सभी क्षेत्रों की सेवाएँ जैसे–शिक्षा, चिकित्सा रेल्वे, बैंकिंग, डाक, यातायात, परिवहन, संचार, प्रबंधन, टूरिज्म, तकनीकी, मनोरंजन, मार्केटिंग आदि। देश के सकल घरेलू उत्पादन में इसका योगदान 62.5 प्रतिशत है।

Sector of economy

1-Primary raw Material - Extraction of raw
प्राथमिक कच्चा माल – Materials
कच्चे माल की निकासी

2-Secondary (Finished Goods) - a.Manufactuing
द्वितीयक (तैयार माल) – विनिर्माण
b.Utilities Included
उपयोगी सेवाएँ
c.Eelctricity
बिजली
d.Consutruction
निर्माण

3-Tertiory (Finished Goods) - a.Retail
तृतीयक (तैयार माल) - खुदरा मूल्य

b.Financial Services
वित्तीय सेवाएँ

c. संचार सेवाएँ

d. आतिथ्य व अवकाश अचल संपत्ति

e.Information Technology

सूचना तकनीकी

4- Quaterly (चतुर्थक) - a.Education

शिक्षा

b.Public sector

सार्वजनिक क्षेत्र

c.Research and Development

शोध एवं विकास

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न 1. भारत के आथिक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. भारत के आर्थिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 3. कौन–कौन से आर्थिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएँ अधिक हैं और क्यों?

GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCTION) :

सकल घरेलू उत्पाद :

द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के समय जब अमेरिका समेत सारा विश्व भयानक आर्थिक मंदी से जूझ रही थी उस समय अर्थशास्त्रियों को GDP का विचार आया।

इसके पूर्व 1937 में अमेरिका के अर्थशास्त्री साइमन कुजलेट ने अमेरिकी संसद में पेश अपनी रिपोर्ट मे राष्ट्रीय आय 1929 to 35 पेश की जिसमें उन्होंने हर ब्यक्ति, कंपनी एवं सरकार जिसने भी देश की अर्थ ब्यवस्था में अपना योगदान किया उसे अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। यही से GDP System की शुरुआत हुई। भारत में सबसे पहले 1950 से GDP के आधार पर अर्थ ब्यवस्था मापी जाती है।

1929–30 के आसपास साइमन कुजलेट ने इसका आविष्कार किया। अमेरिका से प्रारम्भ होकर यह 20–25 वर्षो में विश्व के लगभग सभी देशों के द्वारा अपना लिया गया। विश्व के देशों को लगा कि यह अर्थ ब्यवस्था मापने का सबसे आसान एवं महत्वपूर्ण तरीका है।

GDP (GROSS DOMESTIC PRODUCTION) : सकल घरेलू उत्पाद :

किसी भी देश की अर्थ ब्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक देश क भौगोलिक सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है।

प्रत्येक देश की अर्थ ब्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन क्रियाएँ वर्ष भर चलती रहती हैं जैसे कृषि, उद्योग, यातायात, परिवहन, संचार, बीमा, प्रकाशन, बैंकिंग, रेल्वे, पोस्टल, शिक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, माइनिंग आदि। इन समस्त से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए एक अर्थ ब्यवस्था में चावल, सीमेंट एवं लोहा 2017–18 में इन तीनों वस्तुओं का उत्पादन क्रमशः 2000 क्विंटल, 5000 क्विंटल एवं 3000 टन है। तीनों क्रमशः 500, 200 एवं 300 रुपये की कीमत

से बिके। ऐसे में सकल घरेलू उत्पाद को निम्न रुप में आंकलित किया जायेगा –

सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017–18

वस्तु	मात्रा (इकाईयाँ)	कीमत प्रति इकाई (रु0 में)	सकल मौदिक मूल्य (रु0 में)
चावल	2000	500	10,00,000
सीमेंट	5000	200	10,00,000
लोहा	3000	300	9,00,000
सकल	घरेलू उत्पाद (GDP)	=	29,00,000

किसी दश की अर्थ ब्यवस्था में तीन वस्तुएँ न होकर हजारों, लाखों प्रकार की वस्तुएँ एवं सेवाएँ होती हैं जिनके कुल बाजार मूल्य को उपर्युक्त प्रकार से आंकलन किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमत पर किए जाने के कारण इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Market Price) भी कहते है।

सूत्र रुप में – $GDP_{mp} = P(O) \times P(S)$

जहाँ P = प्रति इकाई मूल्य

O = भौतिक वस्तुएँ

S = भौतिक सेवाएँ

शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Production)

————————————————————————

उत्पादन के दौरान पूँजीगत वस्तुओं, जिस प्रकार मशीनों, उपकरणों, औजारों, कारखाना, फैक्ट्री, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, जलयान आदि का ह्रास होता है। एक समयावधि के बाद इन पूँजीगत वस्तुओं का प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है इसलिए कुल उत्पादन में से एक हिस्सा घिसावट

(Reparing) ब्यय के लिए अलग रखना पड़ता है। इस प्रकार सकल घरेल् उत्पाद में घिसावट ब्यय को घटाने पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

G.D.P में कमियाँ – 1.इसके अंतर्गत बच्चों की सेहत, शिक्षा की गुणवत्ता, खेल एवं मनोरंजन से मिलने वाली खुशियों को शामिल नहीं किया जाता।

2. यह वैवाहिक जीवन की संवेगात्मक उपलब्धियों एवं मजबूती को भी नहीं दर्शाता।
3. यह समस्त भौतिक उपलब्धियों को दर्शाता है किंतु इससे भी महत्वपूर्ण देश और कर्तब्य के प्रति हमारे प्रेम, सम्मान, समर्पण, ईमानदार, साहस आदि जो कि हमारे जीवन को अधिक बेहतरीन बनाते है GDP में इसका कोई स्थान नहीं है।

(GROWTH) : विकास

आर्थिक बृद्धि (Economic Growth) : वस्तुओं एवं सेवाओं में मात्रात्मक बृद्धि को आर्थिक बृद्धि कहते है। इसे GDP से नापा जाता है। यह एक सीमित संकल्पना है।

आर्थिक विकास (Economic Development) : यह एक बृहद संकल्पना है जिसमें (GDP) भी समाहित है।

– आर्थिक विकास में आर्थिक बृद्धि के साथ–साथ उसमें गुणात्मक बृद्धि, उनके उत्पादन के तकनीक का बेहतरीकरण, इन उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण एवं और उससे लोगों के जीवन में उत्थान शामिल होता है।

– यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक संकल्पना है।

– यह आर्थिक संकल्पना के साथ–साथ सामाजिक एवं मानवीय संकल्पना भी है।

Unit 1-C-4-Constitution : what it is, how is Different from Law or rules ? why do we need it ? what are the different kinds of constitutions in the world ?

संविधान : यह क्या है, कैसे नियमों व कानून में अंतर है? हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? क्या विश्व में विभीन्न प्रकार के संविधान हैं?

उत्तर – संविधान का अर्थ – यह क्या है?

संविधान शब्द अंग्रेजी भाषा के 'Constitution' शब्द का हिंदी रुपांतरण है। जिसका शाब्दिक अर्थ है एक सोच रखना। संविधान द्वारा किसी राष्ट्र की शासन ब्यवस्था का संचालन होता है। यह एक ऐसा राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसमें राष्ट्रीय उद्देश्य के सभी संकेत समाहित होते हैं। कोई भी देश, वहाँ की सरकार, उसके सभी अंग के अधिकार व कर्तब्य होगें। ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, किस तरह से केन्द्रीय एवं राज्य सरकार इन आदर्शों, मूल्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगी। नागरिकों के अधिकार एवं कर्तब्य का समावेश भी इसके अंर्तगत होता है। संविधान किसी भी देश की संर्वोच्च निधि होता जिसके ऊपर न कोई शक्ति होती है न ही कोई सत्ता। किसी भी देश की सरकार संविधान से शक्ति एवं उत्तरदायित्व प्राप्त कर सुचारु रुप से शासन का संचालन करती है। किसी राष्ट्र को शासित करने वाले सिद्धांत, नियम या कानून संविधान के अंर्तगत आते हैं।

How is it defferent from Law are rules

यह कानून या नियम से भिन्न कैसे है?

संविधान देश में सर्वोच्च कानूनी ब्यवस्था है जबकि

कानून या नियम उसके अंतर्गत एक हिस्सा या अंश मात्र है। संविधान किसी भी देश में एक बार बनता है। नियम या कानून देश की आवश्यकतानुसार बनता रहता है। संविधान से सब अलग–अलग प्रकार के अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त करते है।

संविधान को कोई ब्यक्ति, समुदाय, संगठन एवं विभाग चुनौती नहीं दे सकते जबकि कानून या नियम को किसी भी न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में उपरोक्त के द्वारा चुनौती दी जा सकती है। संविधान अपने आप में पूर्ण है जबकि कानून या नियम एक अंश पूर्ति मात्र है ।

Why do we need it (Constitution)

हमें इसकी (संविधान) आवश्यकता क्यों है :

————————————————————————

1. संविधान किसी भी देश का प्राण होता है।
2. कोई भी देश मात्र एक भौतिक ढाँचा है जिसमें संविधान रुपी प्राण शक्ति से वह संचालित होता है।
3. देश को चलाने के लिए संप्रभुता की शक्ति आवश्यक है जो सरकार के तीनों अंगों को संविधान से ही प्राप्त होता है।
4. किसी देश की भौगोलिक सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजनीतिक सीमा, राज्यों की सीमाएँ आदि का निर्धारण, सीमाकंन एवं सुरक्षा नीति का उल्लेख संविधान में रहता है।
5. विदेश नीति का उल्लेख रहता है।
6. नागरिकों के वयस्क मताधिकार
7. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख
8. नागरिकों के मौलिक कर्तब्यों के पालन का उल्लेख
9. नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख

10. देश की आंतरिक शान्ति, सुरक्षा एवं ब्यवस्था का उल्लेख आदि।

What are the different kinds of Constitutions in the World ?

विश्व में विभिन्न प्रकार के संविधान क्या है ?

विश्व के विभिन्न देशों में अलग–अलग प्रकार के संविधान पाए जाते हैं जो निम्न लिखित है –

1. Codified and Uncodified Constitution –
संहिताबद्ध एवं असंहिताबद्ध संविधान – संहिताबद्ध रुप में भारत का संविधा एवं ण्वं असंहिताबद्ध रुप में इंग्लैण्ड का संविधान है।
2. Flexible and Inflexible
लचीला एवं कठोर संविधान – लचीला संविधान का उदाहरण भारत का संविधान है जबकि कठोर संविधान का उदाहरण अमेरिका का संविधान है।
3. Monarchical and Republical
राजतंत्रीय एवं गणतंत्रीय संविधान – राजतंत्रीय संविधान का उदाहरण ब्रिटेन का संविधान है जबकि गणतंत्रीय का उदाहरण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी आदि है।
4. Precidencial and Parliamentry
अध्यक्षीय एवं संसदीय संविधान – अध्यक्षीय संविधान का उदाहरण अमेरिका एवं संसदीय संविधान का उदाहरण भारत एवं बिटेन है।
5. Federal and Unitary

संघात्मक एवं एकात्मक संघात्मक संविधान – भारत का संविधान संघात्मक होते हुए एकात्मक का उदाहरण है। अमेरिका का संविधान संघात्मक का उदाहरण है।

6. Political and Legal

राजनैतिक एवं कानूनी संविधान – ब्रिटेन का संविधान राजनैतिक एवं भारत, अमेरिका, फ्रांस का संविधान कानूनी संविधान का उदाहरण है।

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. भारतीय संविधान की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न2. संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है? यह नियम या कानून से भिन्न क्यों है? उदाहरण सहित समझाइए।

प्रश्न3. संविधान को परिभाषित करते हुए विश्व में पाये जाने वाले संविधान के विविध प्रकारों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न4. भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तब्यों का उल्लेख कीजिए।

Unit 1:C-5 The Constitution of India, its over all Framework, and basic features

भारत का संविधान, यह सबसे ऊपर है, और आधारभूत विशषताएँ

The Constitution of India, its over all Framework,

भारत का संविधान – भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के निर्माण का गठन केबिनेट मिशन योजना 1946 में स्वीकार किया गया। इसमें 324 सदस्य थे। संविधान का प्रारुप बनाने वाली समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। 11 दिसम्बर 1946 को डॉ राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया । 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरु ने 'संविधान सभा' के समक्ष 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किय। इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ।

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। निर्माण के समय इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। यह देश का सर्वोच्च कानून संग्रह है।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ (Features of Indian constitution) -

---

1.लिखित एवं ब्यापक – विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ हैं।

2.सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य –

अ.प्रभुत्व सम्पन्न अर्थात आंतरिक एवं बाह्य नीति में पूर्णतः स्वतंत्र

ब.लोकतंत्रात्मक अर्थात जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन

स.गणराज्य अर्थात राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन द्वारा चयन

3.समाजवादी राज्य की स्थापना – आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक शोषण से मुक्त

4.संघात्मक ब्यवस्था में एकात्मकता का समावेश – 28 राज्य व 09 केन्द्र शासित प्रदेश होते हुए हम सबकी एक ही नागकिता है। वह है भारतीय। राज्य की तुलना में केन्द्र अधिक शक्तिशाली है, एक ही न्यायपालिका है, राज्योंको केन्द्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र के पास है।

5.संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली –

6.कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय – अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित कुछ विषयों पर संशोधन साधारण बहुमत से एवं कुछ विषयों पर संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।

7.स्वतंत्र न्यायपालिका की ब्यवस्था –

8.वयस्क मताधिकार –

9.नागरिकों के मौलिक अधिकार –

10.मूल कर्तब्य की ब्यवस्था –

11.नीति निर्देशक तत्व –

12.एक राष्ट्रभाषा – देव नागरी लिपि में हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है

13. अस्पृश्यता का अंत –

14.लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना –

15.आपातकालीन ब्यवस्था –

16.ग्राम पंचायतों की स्थापना –

17.विश्व शांति में सहभागिता –

18.धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना –

Unit 1:C-6- Rights and duties of citizens

नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तब्य – 6 मौलिक अधिकार एवं 11 मूल कर्तब्य है।

नागरिकों के मौलिक अधिकार – संविधान द्वारा भारतीयों को 6 ———————————————— मौलिक अधिकार प्राप्त है जो निम्नलिखित है –

1. समानता का अधिकार –
2. स्वतंत्रता का अधिकार –
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार –
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार –
5. संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार –
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार –

नागरिकों के मौलिक कर्तब्य – देश के समस्त नागरिकों के ———————————————— लिए 11 मौलिक कर्तब्य संविधान द्वारा निर्धारित है। ये पहले 10 थे, 86 वें संविधान संशोधन द्वारा 11 वॉ कर्तब्य जोड़ा गया।

बी.एड. प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर में नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तब्यों के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ उसका अध्ययन करें।

उपसंहार –

मूल्यांकन – 1. संविधान से आप क्या समझते हैं? विश्व के विविध प्रकार के संविधानों का उल्लेख कीजिए ?

2. नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तब्यों को समझाइए।

Unit 1-C-7-The meaning and implications of democracy as a polity and a way of life, the actual functioning of democracy in India in the last 50 years.

लोकतंत्र के अर्थ और निहितार्थ एक राजनीतिक और जीवन के तरीके के रुप में, भारत में पिछले 50 वर्षों में लोकतंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली का क्रियान्वयन –

उत्तर – कक्षा में समूह शिक्षण के रुप में अध्ययन होगा।

– नागरिकों के मौलिक अधिकार
– राज्य के नीति निर्देशक तत्व
– शिक्षा
– स्वास्थ्य
– नागरिक सुविधाएँ
– शासकोय योजनाएँ
– पंचायती राज ब्यवस्था
– जल ब्यवस्था
– कृषि में क्रान्ति
– उद्योग धंधें का विकास
– यातायात, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास
– विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में विकास
– सिंचाई परियोजना –
– पंच वर्षीय आर्थिक योजनाएँ
– आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक ब्यवस्था में सुधार एवं विकास कार्य आदि सभी क्षेत्रों में देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुए विकास कार्यों को समझाना है।

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अभी तक प्रजातांत्रिक नीति के तहत हुए विकास कार्यों को उदाहरण सहित समझाइए।

Unit 3 : Curriculum, syllabus and text book

पाठचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक

Unit 3 : 1- Analysis of curricular aims and objective

पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का विश्लेषण :

लक्ष्यों (Aims)	उद्देश्यों (Objectives)
– ये दीर्घकालीन होते हैं	– ये अल्प कालीन होते हैं
– इनका आधार दार्शनिक होता है	– इनका आधार मनोवैज्ञानिक होता है
– उद्देश्य एक सामान्य कथन होता है	–उद्देश्य एक विशिष्ट कथन होता है
– इसका क्षेत्र ब्यापक होता है	– क्षेत्र सीमित होता है
– यह सम्पूर्ण विद्यालय, कार्यक्रम, समाज तथा राष्ट्र से संबंधित होता है	– यह विषय विशेष से संबंधित होता है
– इसमें आदर्शवादिता होती है	– इसमें ब्यवहारिकता होती है
– समय सीमा निश्चित नहीं होती है	– समय सीमा निश्चित होती है

सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य (Aims and Objectives of social science teaching) :

– ज्ञान प्राप्त करना

– तार्किक एवं जटिल महत्वपूण निर्णयन शक्ति का विकास

– स्वतंत्र अध्ययन में प्रशिक्षण

– आदत व कौशल निर्माण

– आचरण के ऐच्छिक/इच्छित प्रतिरुप में प्रशिक्षण

– ब्यक्तिगत मूल्यों का विकास

– सामाजिक मूल्यों का विकास
– संवैधानिक मूल्यों का विकास
– उत्तरदायी नागरिकों का विकास करना
– सांस्कृतिक संरक्षण, रुपांतरण एवं संप्रेषण
– राष्ट्रीय एकीकरण का विकास
– राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास
– अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना

उपसंहार –

मूल्यांकन –1. पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को समझाते हुए सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्दश्यों पर प्रकाश डालिए।

Unit 3-2-Integrated social science curriculum vs Subject based curriculum (History, Geography, Social political life)

एकीकृत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम बनाम विषय आधरित पाठ्यक्रम (इतिहास, भूगोल, सामाजिक राजनीतिक जीवन)

———————————————————————————————

इसके अंतर्गत 9वीं एवं 10 वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र विषयों के अंर्तगत सम्मिलित कोर्स का अध्ययन करना है जो इन कक्षाओं में पढ़ाए जाते है। एकीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय अध्ययन के साथ क्रियाओं को जोड़ दिया जाता है। जैसे – प्रोजेक्ट वर्क, भ्रमण, प्रायोगिक कार्य, ड्रामा, नाटक, विभिन्न प्रकार के संग्रह कार्य , चित्रकला, करके सीखें, ड्राइंग, पेंटिंग, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि। एकीकृत पाठ्यक्रम अर्थात सैद्धांतिक के साथ–साथ व्यवहारिक एवं प्रायोगिक शिक्षा ब्यवस्था को अपनाना।

जैसे – कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु क्या – क्या।

कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु क्या – क्या।

कक्षा 11वीं में भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल के पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु क्या – क्या।

कक्षा 12वीं में भूगोल विषय के अंतर्गत भूगोल के पाठ्यक्रम में पाठ्यवस्तु क्या – क्या।

इसी तरह इतिहास, नागरिक शास्त्र/राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों में कक्षानुसार पाठ्यक्रम के स्तर में क्रमिक विकास एवं परिवर्तन होती चला जायेगा। इसे

एकीकृत पाठ्यक्रम कहते है। कक्षानुसार पाठ्यक्रम के स्तर में बृद्धि होते जाती है।

उपसंहार –

मूल्यांकन – 1. प्रश्न – एकीकृत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम बनाम विषय आधारित (कोई एक विषय) हेतु एकीकृत पाठ्यक्रम को समझाइये।

प्रश्न3. उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास विषय आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम का उल्लेख कीजिए।

Unit 3-3-Comparative analysis of State and National Curriculum documents with a special focus on objectives

उद्देश्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ राज्य और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम दस्तावेजों का तुलनात्मक अध्ययन

उत्तर – आजकल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम लगभग एक सा हो गया है।

जब यह आज से 5 साल पहले जबकि दोनों (राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरी) सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम अलग–अलग था उस समय के लिए प्रासंगिक था। यह पाठ्क्रम बी.एड के लिए उस समय का बना है।

बी.एड. प्रशिक्षार्थी इसे दोनों स्तर की पाठ्यवस्तु के आधार पर जाँच कर लेवें और यदि अंतर मिलता है तो उसका तुलनात्मक अध्ययन लिखकर रखना है।

Unit 3-4-Connection between curriculum, syllabus and Text book

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक के बीच संबंध

————————————————————————————

परिभाषा – '' पाठ्यचर्या में वे सभी परिस्थितियाँ सम्मिलित है जो स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के ब्यक्तित्व के विकास तथा उनके ब्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए सावधानी पूर्वक आयोजित की जाती है।

पाठ्यक्रम का अर्थ (Meaningn of curriculum) – पाठ्यक्रम

————————————————————————————

शब्द की ब्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द क्यूररे (currere) से हुई है जिसका अर्थ है ''दौड़ का मैदान'' (Race-course) इस प्रकार पाठ्यक्रम दौड़ का वह मैदान है जिस पर छात्र लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दौड़ता है।

शिक्षा के अंतर्गत वे सारे अनुभव जो अधिगम कर्ता को विद्यालय में उनके ब्यवहार तथा मानसिक समुच्चय में इच्छित परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाते है पाठय्क्रम कहलाते है। इसमें ज्ञान, कौशल, एवं मूल्य सभी कुछ शामिल है।

पाठ्यक्रम – प्रायः पाठ्यक्रम उन विषयों का समुच्चय होता है जो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाये जाते हैं किंतु यह धारणा संकुचित एवं सीमित है। इसके ब्यापक अर्थों में वे सभी अनुभव सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें छात्र विद्यालय की विविध क्रियाओं से प्राप्त करते हैं। स्कूल का समूचा वातावरण इसमें सम्मिलित है। इतना ही नहीं विद्यालय के बाहर की वे

अर्थपूर्ण एवं वांछनीय क्रियाएँ तथा अनुभव भी सम्मिलित हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सके। इसी ब्यापकता के कारण पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या शिक्षा के समूचे वातावरण को ओर इंगित करती है।

परिभाषा – पी.टी.नन –'' हर प्रकार की वे क्रियाएँ जो कि मानव सोच की बड़ी अभिब्यक्ति होती है और इस विशाल संसार में सबसे बड़ी एवं सबसे अधिक स्थायी महत्व की होती है उन्हें पाठ्यक्रम समझा जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा आयोग – पाठ्यक्रम से तात्पर्य केवल वे एकेडमिक विषय नहीं होते जो कि विद्यालयों में परम्परागत ढंग से पढ़ाये जाते है बल्कि इसमें वे सारे अनुभव शामिल होते हैं जो कि छात्र सैकड़ों प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से स्कूल में, कक्षा में, पुस्तकालय में, खेल के मैदान में या अध्यापक व शिष्य के बीच में विविध प्रकार के अनौपचारिक संपर्कों के माध्यम से प्राप्त करता है। इस प्रकार स्कूल का पूरा जीवन पाठ्यक्रम बन जाता है जो कि छात्र के जीवन के हर बिंदु को छूता हो और एक संतुलित ब्यक्तित्व के मूल्यांकन एवं विकास में उनकी सहायता करता हो।

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ –

————————————————

1.अनुभव आधारित होता है –

2.अधिगम कर्ता के ब्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाना –

3.अध्यापकों के द्वारा छात्रों की अभिवृत्ति को जानना –

4.शैक्षिक लक्ष्य एवं उद्देश्य पाप्त करने में सहायक –

5.स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरुप –

पाठ्यक्रम के प्रकार :

————————————

1.विषय केन्द्रित – परम्परागत पाठ्यक्रम

2.क्रिया केन्द्रित – महात्मा गांधी, रुसो, जॉन डी.वी., फ्रोबेल, नई शिक्षा नीति 2020 आदि।

3.अनुभव कन्द्रित – वे अनुभव जो छात्रों कों विविध प्रकार के ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति एवं प्रसंशा प्रदान करती है। अनुभव वास्तव में मानव को उसके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया है जो छात्र को आसपास के वातावरण में समायाजित होने में सहायता करती है।

4.एकोकृत पाठ्यक्रम – इसके अंतर्गत विषयों एवं क्रियाओं का जोड़ दिया जाता ह जैसे–मीरा, तुलसी, सूरदास की रचनाओं को हम उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ते है एवं आगे उच्च शिक्षा स्तर पर भी विस्तार से पढ़ते हैं। यह पाठ्यक्रम ब्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। 4 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम भी इसका एक उदाहरण है।

5.संतुलित या कोर पाठ्यक्रम – विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम, उनकी उम्र, ब्यक्तिगत आवश्यकता, सामाजिक, देश, काल एवं विश्व में प्रतिस्पर्द्धा को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित होना चाहिए जिससे बालक ज्ञान, समझ एवं कौशल विकसित कर चिंतनशील एवं सृजनशील बनने में सक्षम हो सके। अज्ञात से ज्ञात की ओर एवं सामान्य से विशिष्ट की ओर प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर तक आत्म निर्भरता की योग्यता एवं क्षमता विकसित हो जाए।

पाठ्यक्रम निमाण के सिद्धांत :

————————————————

1.बाल–केन्द्रित –

2.समुदाय केन्द्रित –

3.एकीकरण का सिद्धांत –

4.वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत –

5.दूरदर्शिता का सिद्धांत –

6.लोच का सिद्धांत –

7.संगठन का सिद्धांत –

8.संतुलन का सिद्धांत –

9.क्रिया का सिद्धांत –

10.उपयोगिता का सिद्धांत –

पाठ्यक्रम का संबंध बालक के सम्पूर्ण विकास से होता है जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदि विकास को क्रयाओं का सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम के अंदर पाठ्यवस्तु (Syllabus) को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यवस्तु से तात्पर्य होता है जैसे–सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के लिए हाई स्कूल कक्षा के नागरिक, इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र विषय में कितनी पाठ्यवस्तु अथवा प्रकरणों को पढ़ाकर परीक्षा के लिए तैयार करना है उसे कक्षा विशेष की पाठ्यवस्तु कहेंगे। पाठ्यवस्त, का संबंध ज्ञानात्मक (Cognitive) पक्ष से होता है।

विद्यालय के अंतर्गत शिक्षण क्रियाओं का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। खेलकूद तथा शारीरिक प्रशिक्षण का संबंध शारीरिक विकास से होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय पर्वों पर जिन कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है उनसे सामाजिक यवं सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है। इसके अतिरिक्त स्काउटिंग एवं एन.सी.सी के आयोजन से नेतृत्व के गुणों का विकास होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय की सभी क्रियाओं को पाठ्यक्रम का अंग माना जाता है। पाठ्यक्रम का स्वरुप अधिक ब्यापक होता है जबकि पाठ्यवस्तु का

स्वरुप सुनिश्चित होता है जिसके अंतर्गत शिक्षण विषयों के प्रकरणों को ही सम्मिलित किया जाता है।

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. पाठ्यक्रम से आप क्या समझते है?

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यवस्त् के मध्य संबंधों का उल्लेख कीजिए।

Unit 3-5- Identifying good resources – criteria and Process

अच्छे संसाधनों (भौतिक एवं मानवीय) की पहचान करना – मानदंड और प्रक्रिया (यथार्थ चित्रण कला)

उत्तर – अलग–अलग विषय (नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र) विषय के छात्राध्यापकों का समूह बनाकर विषय आधारित ज्ञान एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग शिक्षण कार्य में किया जाएगा। स्थानीय कलाओं, वस्तु संग्रह, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भ्रमण, स्थानीय संस्कृति, भाषा, बोली, परम्पराओं आदि का प्रयोग कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के सामाजिक विज्ञान शिक्षण में पाठ्यक्रम आधारित सहायक शिक्षण सामग्री का समावेश करते हुए Learnin out comes को उद्देश्य पूर्ण एवं सफल बनाना है।

उपसंहार –

मूल्यांकन – प्रश्न1. सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ्यवस्तु ''छ.ग. के प्राकृतिक प्रदेश'' के शिक्षण हेतु भौतिक संसाधनों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न2. माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन विषय के अंर्तगत पाठ शिक्षण हेतु संसाधनों की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए।

धन्यवाद्